मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—
दिनांक:04.04.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने के 02 आरोपियों को करायी गयी 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 10 हजार व ₹ 11 हजार के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन , वाराणसी "पीयूष मोर्डिया" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट , हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना विन्ध्याचल पर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश , मीरजापुर द्वारा 02 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 10 हजार व ₹ 11 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक:01.11.2017 को वादी द्वारा थाना विन्ध्याचल पर नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। जिसके आधार पर थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0-496/2017 धारा 363,376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म से सम्बन्धित उपरोक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना विन्ध्याचल पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। विशेष लोक अभियोजक-सनातन कुमार , विवेचक-निरीक्षक अशोक कुमार सिंह , पैरोकार-मुख्य आरक्षी पीयूषकान्त व कोर्ट मोहर्रिर-महिला आरक्षी सुनीता व आरक्षी बिट्टू कुमार सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश , मीरजापुर(संतोष कुमार त्रिपाठी) द्वारा दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों 1.पंकज यादव पुत्र राकेश कुमार यादव उर्फ साधू निवासी नौगवां थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर व 2. विनय कुमार गुप्ता पुत्र सूर्यनाथ गुप्ता निवासी दुल्लहपुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को क्रमशः 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 11 हजार व ₹ 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06-06 माह का अतिरिक्त सा0कारावास भुगताना होगा।

सजायाफ्ता अभियुक्तगण —

1.पंकज यादव पुत्र राकेश कुमार यादव उर्फ साधू निवासी नौगवां थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।
2.विनय कुमार गुप्ता पुत्र सूर्यनाथ गुप्ता निवासी दुल्लहपुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।